(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEVELOPMENT DEPARTMENT) DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING 49, SHAM NATH MARG, DELHI – 110054. Fax No. 23818298: E-mail: dagri@sansand.nic.in

No. F. 8(43)/2010-DAM/MR/ 8994

Dated: 2-6-11

NOTIFICATION

No. F. 8(43)/2010-DAM/MR/ in partial modification of Notification No. 8/23/2001-DAM/MR/2576 dated 28.05.2007 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to nominate Sh. Rajinder Kumar Sharma, BE-58, Shalimar Bagh, Delhi, as a member of the Delhi Agricultural Marketing Board, on his being elected from the category of traders and commission agents licensed under Section 80, with immediate effect.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

> (Kailash Chandra) Special Secretary (Development)

No. F. 8(43)/2010-DAM/MR/ 8995-9030

Dated: 2-6-11

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi

2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad

3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi

- 4. The Principal Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 5. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.

6. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.

7. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi

8. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing

Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.

9. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra-Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).

- 10. The Chairman/Secretary, Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi/New Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi, Khoya/Mawa Marketing Committee, Mori Gate and Flower Marketing Committee, Mehrauli, Delhi.
- 11. The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi
- 12. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
- 13. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi
- 14. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
- 15. Guard file.

(KAILASH CHANDRA) SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT) GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विकास विभाग) कृषि विपणन निदेशालय 49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054. फेक्स न0: 23818298 : ई-मेल:dagri@sansad.nic.in

सं.एफ ४(४३)/2010-डी०ए०एम०/एम०आर०/४ 99 ५

दिनांक : 2-6-11

अधिसूचना

सं. एफ 8(43)/2010-डी0ए0एम0/एम0आर0/ अधिसूचना संख्या एफ 8/23/2001-डी0ए0एम0/एम0आर0/2576 दिनांक 28.05.2007 तथा दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, बीई-58, शालीमार बाग, दिल्ली को धारा 80 के अन्तर्गत तुरंत प्रभाव से, लाइसेंस प्राप्त व्यापरियों तथा कमीशन एजेंटों वर्ग से निर्वाचित हुए सदस्य को दिल्ली कृषि विपणन परिषद् के सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैं।

उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से तथा उनके आदेश पर,

सेलाश चानु

(कैलाश चन्द्र) विशेष सचिव (विकास) सं.एफ ४(४३) / २०१० – डी०ए०एम० / एम०आर० १९१५ ५ – १०७०

दिनांक: 2-6-11

प्रतिलिपि:-

1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।

3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।

- प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- सिचव, मंत्री (विकास), दिल्ली सरकार, दिल्ली सिचवालय, नई दिल्ली।
- 6 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

7 विकास आयुक्त, दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।

- 8 अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 9 उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्दप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति).
- 10 अध्यक्ष/सचिव, कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली/नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, खोया/मावा विपणन समिति, मोरी गेट एवम पुष्प विपणन समिति, महरौली, दिल्ली।

11 उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

12 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

13 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।

14 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।

15 गार्ड फाईल।

केलाश चन्द्र) (कैलाश चन्द्र) विशेष सचिव (विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार